

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक: एफ28 (5)परावि/प्रशा.2/अति.सहा.वि.अ.प्र.प्र.अ./स्था.पद./2024-(22519)/ जयपुर, दिनांक:

:: संशोधित आदेश ::

विभागीय आदेश राजकाज रेफरेन्स संख्या 5726780 दिनांक 20.02.2024 में क्र.सं. 123 पर वर्णित कार्मिक के नाम में "सांगसिंह भाटी" के स्थान पर "सांगसिंह राठौड" एवं पदनाम में "सहायक विकास अधिकारी" के स्थान पर "अतिरिक्त विकास अधिकारी" पढ़ा जावे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(रेखा सामरिया)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
शासन उप सचिव-II

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति घंटियाली/चामू (जोधपुर)।
7. आदेश में वर्णित संबंधित कर्मचारी।
8. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
शासन उप सचिव-II

RajKaj Ref
8465608

